सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (DMIC) विभाग

प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021–22

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (DMIC) विभाग

प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021–22

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

दिल्ली–मम्बई इण्डस्ट्रीयल कुॅरीडोर (DMIC) विभाग का संगठनात्मक ढांचा

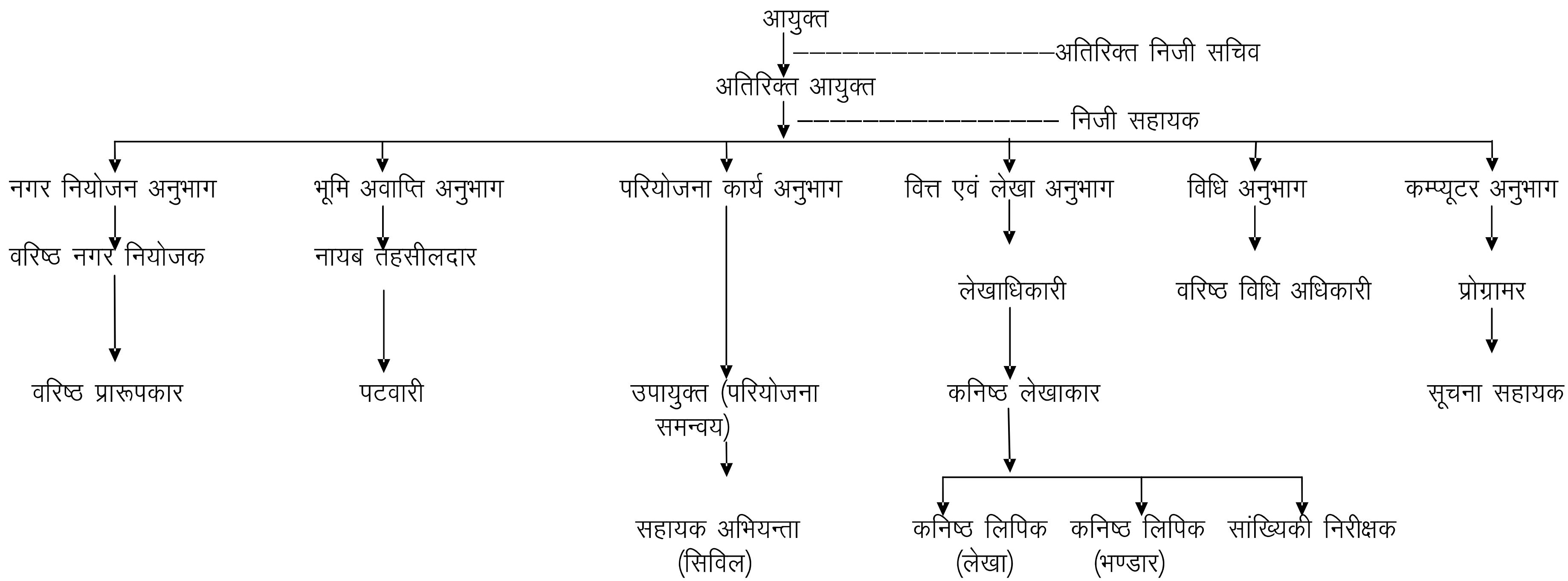

वित्तीय वर्ष 2021—22 में विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	आयुक्त	01	01	—
2.	अतिरिक्त आयुक्त	01	01	—
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक	01	—	01
4.	उपायुक्त (प्रोजेक्ट कोर्डीनेटर)	01	01	—
5.	अतिरिक्त निजी सचिव	01	—	01
6.	लेखाधिकारी	01	01	—
7.	सहायक अभियंता (सिविल)	01	—	01
8.	प्रोग्रामर	01	01	—
9.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	—
10.	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	—
11.	नायब तहसीलदार	01	—	01
12.	निजी सहायक	01	—	01
13.	वरिष्ठ प्रारूपकार	01	—	01
14.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01	—
15.	कनिष्ठ लिपिक	02	02	—
16.	सूचना सहायक	01	01	—
17.	पटवारी	01	01	—
18.	ड्राईवर	01	01	—
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	02	01
योग		22	15	07

राजस्थान सरकार
दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (DMIC) विभाग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

वर्ष 2021–22 का प्रगति प्रतिवेदन

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

राजस्थान राज्य में दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर परियोजना को आवश्यक गति प्रदान करने व परियोजना विकास से भरपूर लाभ लेने के लिए औद्योगिकीकरण एवं बुनियादी ढांचा अपग्रेड करने के लिए फरवरी, 2014 में राज्य सरकार द्वारा प्रमुख शासन सचिव, डीएमआईसी के पदस्थापन के साथ पृथक से डीएमआईसी विभाग स्थापित किया गया। दिनांक 27.11.2020 को डीएमआईसी विभाग का पुनर्गठन करते हुए विभाग के 12 अस्थाई पदों को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, रीको लिमिटेड (RIICO Ltd.) को हस्तान्तरित कर दिया गया है। दिल्ली–मुम्बई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना हेतु दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर विभाग राजस्थान राज्य से सम्बन्धित प्रकरणों के लिये नोडल विभाग के रूप में भी कार्य कर रहा है।

दिल्ली–मुम्बई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

भारत सरकार द्वारा दिल्ली और मुम्बई के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर की स्थापना की जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। यह दादरी (उत्तर प्रदेश) से प्रारम्भ होकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होता हुआ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जायेगा। यह समर्पित कॉरीडोर उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। फ्रेट कॉरीडोर का अधिकतम हिस्सा (लगभग 38%) राजस्थान से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 567 कि.मी. है। यह हिस्सा राजस्थान के कुल 7 जिलों में होकर गुजरता है यह जिले है–अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली एवं सिरोही।

दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (DMIC)

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के दोनों तरफ लगभग 150 कि.मी. की पट्टी को दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा। डीएमआईसी कॉरीडोर के विकास की परिधि में राज्य के 22 जिले सम्मिलित है। इस कॉरीडोर में औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकॉनोमिक जोन, पावर प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक टाउनशिप और अन्य व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को विश्व स्तरीय रूप से विकसित करने का लक्ष्य है।

- राजस्थान राज्य में डीएमआईसी कॉरीडोर के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 क्षेत्रों (Nodes) को विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया हैः–
  1. खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र
  2. जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र
  3. अजमेर–किशनगढ़ निवेश क्षेत्र
  4. राजसमंद–भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र
  5. जयपुर–दौसा औद्योगिक क्षेत्र

- इनमें से प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर–पाली – मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
- इन दोनों क्षेत्रों हेतु दिनांक 29.09.2021 को रीको एवं NICDIT द्वारा SSA & SHA हस्ताक्षरित किया जाकर एक संयुक्त SPV के निगमन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

<u>खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र</u>

परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण मे खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 165 वर्ग किलोमीटर है एवं जिसमे अलवर जिले के 42 ग्रामों सम्मिलित हैं, का विकास किया जा रहा है। राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 की अधिनियम संख्या 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर जिले की नीमराना एवं मुण्डावर तहसील के 42 ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए विशेष विनिधान क्षेत्र घोषित किया गया, जिसे खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना विनिधान क्षेत्र नाम दिया गया, जिसकी अधिसूचना दिनांक 28.12.2020 को जारी की गई। उक्त विशेष विनिधान क्षेत्र के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको लिमिटेड) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है।

खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र हेतु डीएमआईसीडीसी (वर्तमान नाम NICDC), नई दिल्ली (भारत सरकार द्वारा डीएमआईसी परियोजना हेतु स्थापित निगम) द्वारा नियुक्त किये गये सलाहकारों की मदद से मास्टर प्लान तैयार कर उसे राज्य सरकार द्वारा शाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड़ अरबन कॉम्प्लैक्स–2041 मास्टर प्लान के भाग के रूप में 22 मई, 2013 में अधिसूचित किया गया। इस क्षेत्र की विकास योजनाओं की प्रगति निम्न प्रकार से है:–

- खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र हेतु विस्तृत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाकर उसे राज्य स्तरीय डीएमआईसी स्टीयरिंग समिति द्वारा दिनांक 01.12.2014 को अनुमोदित किया गया है।
- खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र हेतु आई.सी.टी. मास्टर प्लान माह अगस्त, 2014 में तैयार किया जा चुका है।
- खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एन्यवायरमेन्ट स्वीकृति अक्टूबर, 2014 में प्रदान की जा चुकी है।
- खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र के प्रथम चरण (फेज़ 1) में 532.30 है0 निजी खातेदारी भूमि एवं एप्रोच रोड़ हेतु 26.65 है0 निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। हितबद्ध खातेदारों को मुआवज़ा राशि का वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है। अब तक रूपये 82.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

- NICDC द्वारा KBNIR हेतु कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसके द्वारा प्रथम चरण के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा Final Base Map तैयार किया जा चुका है।
- कोटकासिम (भिवाड़ी) में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र

डीएमआईसी परियोजना में जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दूसरे नोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु सलाहकारों की मदद से विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् पाली जिले की रोहट तहसील में लगभग 154 वर्ग.किमी. के क्षेत्र जिसमें पाली जिले के 9 ग्रामों सम्मिलित है, को विकसित करने हेतु चिन्हित किये गये है। राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 की अधिनियम संख्या 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाली जिले की रोहट तहसील के 09 ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया, जिसे जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र नाम दिया गया, जिसकी अधिसूचना दिनांक 12.10.2020 को जारी की गई। उक्त विशेष विनिधान रीजन के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको लिमिटेड) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया।

इस क्षेत्र का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2016 को अधिसूचित किया जा चुका है। जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एन्वायरमेन्ट स्वीकृति जुलाई, 2017 में प्रदान की जा चुकी है।

NICDC द्वारा JPMIA हेतु कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा Final Base Map तैयार किया जा चुका है।

इस क्षेत्र हेतु निम्बली ब्राह्मणान, रोहट, डूंगरपुर, सिणगारी और दूदली की प्रथम व द्वितीय चरण में 3068.8172 है0 भूमि की अधिसूचना हेतु एजेंडा तैयार किया जा चुका है।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016

राज्य एवं डी.एम.आई.सी. परियोजना क्षेत्रो में विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित कर सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष विधि ''राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016'' (2016 का अधिनियम सं. 13) को राजस्थान राजपत्र में दिनांक 26.04.2016 को अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमों की अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के दिनांक 01.01.2018 के विशेषांक में किया गया है।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन बोर्ड

राज्य में राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले वाले विशेष निवेश क्षेत्रों को प्रोन्नत करने एवं उनके विकास की मॉनिटरिंग आदि के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ''राजस्थान विशेष विनिधान रीजन बोर्ड'' की स्थापना की गई जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान–राजपत्र के दिनांक 09 जनवरी, 2018 के अंक में कराया गया है।

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप (BIT)

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अलवर जिले की बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया था, जिसे भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप (BIT) नाम दिया गया। दिनांक 28.12.2020 को जारी संशोधित अधिसूचना द्वारा 42 ग्रामों को अलग कर एक पृथक विशेष विनिधान क्षेत्र (खुशखेड़ा–भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र) गठित किये जाने के फलस्वरूप शेष 321 ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप घोषित किया गया है।

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित विशेष विनिधान रीजन, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप (BIT) के लिए भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान–राजपत्र में 27.02.2018 में कराया गया।

बजट 2021—2022

(रू लाखों में)

क्र.सं.	नाम बजट मद	आय–व्यय का अनुमान	व्यय 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)
1.	आयोजना	311.44	168.08